



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन-2016-17

विषय सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	प्राक्कथन	1
2	मुख्य अंश	2
3	भाग-1 प्रस्तावना	3-4
4	भाग-2 लेखा विसंगतियाँ	5-8
5	भाग-3 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गयी कमियाँ	9-15
6	परिशिष्ट - 1 से 21	16-63

प्राक्कथन

कोषागार, राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामले में, सामान्य रूप में और सरकारी लेन-देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार, निकासी/संवितरण अधिकारी एवं वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है साथ ही साथ लेखा एवं लेन-देन से सम्बन्धित मानक और नियम के अनुसार वित्तीय लेन-देन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारु रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की हैं। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन प्रतिकूल वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के मैनूअल स्थायी आदेश (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 और दिये गये प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड का 2016 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया है तथा मैं यह आशा करता हूँ कि यह समीक्षा रिपोर्ट कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने में एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रबन्धन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।

Sd/-

(अशोक सिन्हा)

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून

दिनांक:

मुख्य अंश

1	कोषागार अंतरापृष्ठीय (Treasury Interface) के माध्यम से प्राप्त लेखों में कमियाँ एवं विसंगतियाँ	(पैरा 2.1)
2	आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्राप्ति और भुगतान के आंकड़ों का मिलान- Non Reconciliation	(पैरा 2.3)
3	₹ 8.05 करोड़ के असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (AC) विपत्र का अस्तित्व	(पैरा 2.4)
4	कोषागारों से ₹ 19.82 लाख के वांछित (wanted) वाउचर्स	(पैरा 2.5)
5	₹ 219.56 करोड़ के अव्ययित (unspent) पी0एल0ए0 राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण नहीं करना	(पैरा 2.9)
6	नई पेंशन योजना (NPS-2005) के अर्न्तगत Employers contribution के रूप में जमा किये गये अंशदान के गलत लेखा शीर्ष में debit करने के सम्बन्ध में।	(पैरा 3.3.1)
7	TR-24 से आहरित वर्ष 2014-15 की राशि ₹11,95,21,645/- का समायोजन न किया जाना	(पैरा 3.3.2)
8	नकद साख सीमा (सी0सी0एल0) वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष नकद साख सीमा (सी0सी0एल0) धनराशि रू0 82.94 लाख को अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यवर्तित करना।	(पैरा 3.3.3)
9	कोषागारों द्वारा बैंको को साख सीमा एवं जमा साख सीमा का विलम्ब से सूचित करना।	(पैरा 3.3.4)
10	पी0एल0ए0 खातो से ₹ 15.59 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी	(पैरा 3.3.5)
11	सी0टी0एस0 प्रणाली के सॉफ्टवेयर की कमी के कारण पी0एल0ए0 खातों में ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित होना।	(पैरा 3.3.6)
12	रूपये 57,50,576 /- धनराशि का दोहरा भुगतान।	(पैरा 3.3.10)
13	उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक संत्राश लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में।	(पैरा 3.3.11)
14	स्त्रोत पर आयकर ₹33.82 लाख की कटौती का न किया जाना	(पैरा 3.4.6)

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2016-17

“भाग-1 : प्रस्तावना”

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग-4(2) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार, निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड के नियंत्रण में हैं। मण्डल/जिला स्तर पर कोषागार/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार, कोषाधिकारी एवं उपकोषागार, उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हैं।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 384/XXVII(6)/2011 दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटीकृत एवं आनलाईन करते हुये 70 उपकोषागारों में कोषागार की भांति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन-देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी है तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

1.2 संरचना/संगठन

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2016-17 में कुल 18 कोषागार एवं 71 उपकोषागार हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिंग के रूप में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक निदेशक कोषागार, एक साईबर ट्रेजरी देहरादून में एवं भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड (P.A.O.) नई दिल्ली में कार्यरत है।

(परिशिष्ट-01)

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को 2013-14 से समाप्त कर दिया गया था। यहाँ स्थापित डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख-रखाव हेतु बैंको में प्रयोग की जाने वाले दो चाबी वाले सेफ के माध्यम से किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जायेगा। ऐसे समस्त उपकोषागारों में डबल लॉक कक्ष एवं सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुबलीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जायेगा।

1.3.1 राज्य के कोषागारों/उपकोषागारों में से 21 कोषागारों, 30 उपकोषागारों का निरीक्षण वर्ष 2016-17 में किया गया।

1.3.2 कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल से काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग 27.14 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है—

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2014-	888	555	333	37.50

15				
2015-16	888	561	327	36.82
2016-17	925	674	251	27.14

निदेशालय कोषागार की सूचना अनुसार वर्ग 'ग' को छोड़कर अधिकांश कर्मचारी एवं अधिकारी कम्प्यूटर कार्य में कौशल प्राप्त है। जनपद कोषागारों एवं उपकोषागारों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रशिक्षण सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों के आँकड़े निम्नवार हैं:-

वर्ष	कार्यरत	प्रशिक्षित	प्रशिक्षण का प्रतिशत की दर
2014-15	555	473	85.23
2015-16	561	479	85.38
2016-17	674	603	89.47

“भाग-2: लेखा विसंगतियाँ”

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियाँ/विसंगतियाँ

2.1 राज्य में कोषागार अंतरापृष्ठीय (Treasury Interface) की प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन निम्न उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था।

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलैक्ट्रॉनिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (NIL payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की पुनः प्राप्ति।

Treasury Interface से प्राप्त लेखों में निम्न कमियाँ/विसंगतियाँ पायी गयी :-

- 2.1.1 Header और Detail में अन्तर-ई-कोश, ई-मेल और कोषागारों से सीडी या पेन ड्राईव से प्राप्त हो रहे डाटा में हेडर और डिटेल में वाउचरों की संख्या समान न होने के कारण इन्टरफेस में डाटा नहीं खुल पाता है। ई-कोष के डाटा से हेडर और डिटेल में वाउचर संख्या कमशः प्राप्त नहीं होती है।
- 2.1.2 मुख्य लेखाशीर्ष 8000 राज्य आकस्मिकता निधि और 7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज का सहायक शीर्ष (कनेक्टिंग हेड) HO2 इन्टरफेस से नहीं खुलता है। इन लेखाशीर्षों की डाटा फीडिंग अभी भी मैनुअल (हाथ से) करनी पड़ती है।
- 2.1.3 LOP और Cash Accounts मैनुअली फीड करना पड़ता है जिनका पूर्ण विवरण ई-डाटा से प्राप्त होना वांछित है।
- 2.1.4 वाउचर स्क्रीन में वाउचर टाईप ऑब्जेक्ट हेड कोई डाटा से सही प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिन्हे ऑब्जेक्ट हेड के अनुरूप बदल दिया जाता है।
- 2.1.5 वाउचर स्क्रीन में वाउचर टाईप ए0सी0 के लिये वाउचर Additional Details में एन्ट्री मैनुअली करनी पड़ती है जो ई-डाटा से प्राप्त होनी चाहिये, साथ ही वाउचर की Hard Copy पर लाल स्याही से A.C. या D.C. Bill लिखा होना चाहिए।
- 2.1.6 हेडर और डिटेल में वाउचर की संख्या समान होनी चाहिये जो अधिकांश कोषागारों को ई-डाटा में प्राप्त नहीं होती हैं। ई- डाटा के डिटेल हेड में उपकोषागार अंकित रहती है जो नहीं होनी चाहिये, जिसको हटाना पड़ता है।
- 2.1.7 ई-डाटा के डिटेल हेड में ही वाउचर संख्या की पंक्ति के अन्त में अंकित कोलन (:) के पश्चात् एक स्पेस रहता है जो अनावश्यक है, जिसको हटाना पड़ता है।
- 2.1.8 हेडर फाइल और डिटेल फाइल दोनों को मिलाकर एक नई फाइल बनानी पड़ती है, क्योंकि यह डाटा हेडर और डिटेल दो फाइलों में अलग-अलग प्राप्त होती है।
- 2.1.9 वाउचर्स स्क्रीन में वाउचर टाईप डी0सी के लिये भी वाउचर एडिशनल डिटेल में एन्ट्री मैनुअली करनी पड़ती है, जो ई-डाटा से प्राप्त होनी चाहिए।
- 2.1.10 चालान द्वारा कोषागारों में प्रेषित की गई धनराशि का विवरण साफ्ट कापी में कार्यालय को प्रेषित किया जाये।
- 2.1.11 कुछ अभिदाता जो चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत हो गये हैं, उनके तृतीय श्रेणी के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का उल्लेख न करके चतुर्थ श्रेणी लेखा संख्या का उल्लेख हो रहा है। कोषागारों से प्राप्त वाउचर में अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि संख्या कभी कभी गलत होती है अथवा अपठनीय होती है। अभिदाता जो चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत हो गये हैं, का बैलेंस ट्रांसफर की राशि इन्टरफेस में नहीं आ रही है।
- 2.1.12 सभी कोषागारों के डेबिट वाउचर एवं चालान का इन्टरफेस नहीं हुआ है, तथा कोषागारों द्वारा अपलोड किये डाटा में गलतियाँ होती है।
- 2.1.13 वाउचर रिकार्ड संख्या दोनों हेडर और आवश्यक ई-डेटा का विवरण, सीरियल क्रम में होना चाहिए। कभी-कभी डुप्लिकेट रिकार्ड विवरण सूची में पाए जाते हैं, पेंशन और लोन के ई-डाटा और डिटेलड फिजिकल वाउचर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त मुख्य लेखाशीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मूल बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा सम्बन्धित कोषागार द्वारा इंगित मदों में बिल पारित किये गये हैं, जो बिल पारण की वित्तीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। बिल पारित करते समय कोषाधिकारियों द्वारा बिल पारण के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों और शासनादेशों की अनुपालना होनी चाहिए। ऐसी धनराशि उच्चन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत/अनावश्यक असमायोजित पडी रहती है तथा लेखाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

वर्ष 2016-17 के लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान कोषागार अंतरापृष्ठीय से सम्बन्धित निम्न कमियाँ/विसंगतियाँ प्रकाश में आयी हैं जिनका सुधार यदि इस कार्यालय द्वारा मैनुअली नहीं किया जाता तो ऐसी कमियों का निश्चित रूप से लेखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

2.2 सहायक अनुदान एवं त्रैमासिक आय-व्यय से सम्बन्धित कमियाँ एवं विसंगतियाँ

- सहायक अनुदान के वाउचर की भी अलग से कोई पहचान नहीं होती है, एवं उनमें योजनागत/आयोजनागत मदों का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं होता है। जिससे की उनकी पहचान कर सही लेखांकन के साथ उचित रख-रखाव हो सके।
- किसी माह में समान धनराशि के एक से अधिक वाउचरों द्वारा धनराशि का आहरण दर्शाया जाता है तथा बाद में बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई एक वाउचर द्वारा ही विभाग द्वारा व्यय है।
- कोषागार द्वारा मानक मद 51 (महंगाई वेतन) में वाउचर आहरित किये जाते हैं जबकि बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह सूचना प्रेषित की जाती है कि सम्बन्धित मानक मद वर्तमान में बन्द है।
- विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2016-17 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता तो उसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पडता। लेखा संशोधन का विवरण परिशिष्ट-02 में दर्शाया गया है।

2.3 आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्राप्ति और भुगतान के आंकड़ों का मिलान

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आँकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2016-17 के लेखा संकलन की प्रकिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या तो मिलान आंशिक रूप से कराया गया।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्यरत समस्त बजट नियन्त्रण अधिकारियों विभागाध्यक्षों के वित्तीय वर्ष 2016-17 में मिलान आख्या निम्नानुसार है:

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीय त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	06	31	12	24	16	28	8	32
आंशिक मिलान	09	13	04	16	01	20	4	18
मिलान नहीं कराया	33	18	32	22	31	14	36	12
कुल	48	62	48	62	48	62	48	62
मिलान आख्या (% में)	31	71	33	65	35	77	25	80.64

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में चतुर्थ त्रैमास तक मिलान नहीं कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-03 में दर्शायी गयी है।

2.4 8.05 करोड़ के असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (AC) विपत्र का अस्तित्व

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से अदृश्य व्यय हेतु सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिये प्राधिकृत हैं एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब वाउचरों सहित आकस्मिक विपत्र की निकासी के एक माह के भीतर महालेखाकार कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। मई 2017 तक के ₹ 8.05 करोड़ के डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय को अप्राप्त थे। विलम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रेषण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किये गये व्यय को अपारदर्शी बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिये गए

(राशि करोड़ में)

वर्ष	आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी		विस्तृत आकस्मिक विपत्र की प्रस्तुति		बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2014-15	1538	116.56	1532	116.214	06	0.350

2015-16	28	1.048	25	1.039	03	0.009
2016-17	171	9.905	57	2.209	114	7.696
कुल	1737	127.513	1614	119.462	123	8.055

2.5 कोषागारों से ₹ 19.82 लाख के वांछित (wanted) वाउचर्स

मार्च, 2017 के अन्त तक ₹ 19.82 लाख के वाउचर्स (वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि तक) कोषागारों से मासिक लेखों के साथ प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण उक्त राशि आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखाशीर्ष के व्यय पक्ष में असमायोजित पड़ी रही। शासन एवं निदेशक कोषागार का सम्बन्धित कोषागारों को वाउचर्स अथवा भुगतान का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत करने हेतु लिखा गया है। कोषागारों को बार-बार लिखने के उपरान्त भी इन धनराशियों के डुप्लीकेट वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये।

(परिशिष्ट-04)

2.6 सहकारिता के लिए ऋण के अन्तर्गत वसूली अनुसूचियों को मासिक लेखा के साथ प्रेषित नहीं करना।

संस्थागत ऋण से सम्बन्धित मुख्य लेखाशीर्ष 6425 सहकारिता के लिए कर्ज, के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों के सापेक्ष मूलधन कोषागारों द्वारा मासिक लेखे के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं।

परन्तु कुछ कोषागारों द्वारा वापसी अनुसूचियों के साथ चालान की प्रतिलिपि प्रेषित नहीं की जा रही है, जिससे उक्त लेखों को VLC Module में लेंखाकन तथा पुस्तांकन करना सम्भव नहीं हो पाता। उक्त चालानों की प्राप्त करने हेतु पत्राचार करना पड़ता है जिससे कार्यालय की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य लेखाशीर्ष 6425 के अंतर्गत चालान प्रेषित न करने वाले कोषागारों का विवरण परिशिष्ट.05 में उल्लेखित है।

2.7 कोषागार से मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना कोषागारों द्वारा मासिक लेखों को समय पर प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। उसी प्रकार समस्त कोषागारों का मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार में समय से प्रेषित करने का उत्तरदायित्व समस्त कोषाधिकारियों का है। लेखे की प्रथम सूची उसी माह की 13 से 17 तारीख तक तथा द्वितीय सूची अगले माह की 5 से 8 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016-17 में कुल 240 (20 कोषागार X 12 मास) मासिक लेखों को प्राप्त करके लेखांकन किया गया। वर्ष 2016-17 में कोषागारों द्वारा 01 से 66 दिन तक के विलम्ब से मासिक लेखे भेजे गये। विलम्ब का मुख्य कारण उत्तराखण्ड राज्य में कोषागार कर्मचारियों द्वारा 45 दिनों का राज्य व्यापक हड़ताल रहा है।

(कोषागारों से लेखे देर से प्राप्त होने पर निर्धारित समय अवधि में लेखों का संकलन नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप शासन को मासिक लेखे प्रेषित करने में विलम्ब होता है।)

(परिशिष्ट-06)

2.8 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ

भारतीय रिजर्व

बैंक, कानपुर द्वारा प्राप्त मासिक विवरण में एजेंसी बैंको की धनराशियों एवं कोषागारों द्वारा प्राप्त एजेंसी बैंको की वी0डी0एम0एस0 में दर्शाई गई धनराशियों में भिन्नता।

कोषागार/उपकोषागार के मासिक लेखों में दर्शाई गई धनराशियों एवं वी0डी0एम0एस0 की धनराशियों में भिन्नता।

आर0बी0आई0 द्वारा किए जा रहे कोषागारों से संबंधित मासिक लेन देन के विवरण एवं कोषागारों द्वारा प्राप्त आर0बी0आई0 के वी0डी0एम0एस0 में दर्शाई गई धनराशियों में भिन्नता।

वर्ष 2016-17 के दौरान उक्त तीनों प्रकरणों में विसंगतियों की कुल संख्या 381 के सापेक्ष धनराशि रु 17708177634.69 थी जिसमें से वर्ष 2016-17 के दौरान 181 विसंगतियों के सापेक्ष धनराशि रु 6924463372.68 का निस्तारण हो चुका है तथा 200 विसंगतियों के सापेक्ष धनराशि रु 10783714262.01 अवशेष है।

2.9 ₹ 219.56 करोड के अव्ययित (unspent) पी0एल0ए0 राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण नहीं करना

वैयक्तिक लेखों खातों से सम्बन्धित नियमावली के अनुसार सरकारी विभागों के वैयक्तिक लेखे खातों मुख्य लेखा शीर्षक-8443 सिविल जमा के अधीन लघु शीर्षक-106 निजी जमा के अन्तर्गत खोले जाते हैं। तथा वित्तीय वर्ष के अन्त

तक उक्त खातों में बची अवशेष राशि को शासकीय खातों में अभ्यर्पण कराना आवश्यक है। अतः उक्त नियम को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सरकारी विभागों के पी0एल0ए0 धारकों से यह अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में (31 मार्च) अवशेष/अव्ययित राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण सुनिश्चित करायें। लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न पी0एल0ए0 धारकों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं करते हुए विभागी पी0एल0ए0 खातों में वित्तीय वर्ष के अन्त में अव्ययित /अवशेष राशि को शासकीय खातों में अभ्यर्पण नहीं कराया गया है।

(परिशिष्ट-07)

“भाग-3 : कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियाँ”

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियाँ एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें

3.1 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1971 के भाग-18 के तहत महालेखाकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में समस्त कोषागारों/ उपकोषागारों का निरीक्षण लेखा परीक्षण नियमावली के अनुसार किया जाता है।

निरीक्षण दलों द्वारा वर्ष 2016-17 में 21 कोषागारों 30 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। कोषागार निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कोषागारों/उप-कोषागारों की कार्यप्रणाली में नियमों/ प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। वर्ष 2016-17 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण (परिशिष्ट-08) में दर्शाया गया है।

अनुशांसा:- निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2016-17 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तारों की स्थिति निम्नानुसार है:

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तारों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2016-17	106	543
वर्ष के दौरान निरीक्षण	51	416
वर्ष के दौरान निस्तारण	36	414
वर्ष के अन्त में शेष	121	545

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तारों का तीन वर्षों का विवरण:-

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तारों की संख्या
2014-15	25	96
2015-16	47	404
2016-17	49	45
योग	121	545

3.2 लम्बित प्रस्तारों के निस्तारण हेतु माह अगस्त 2016 में निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड द्वारा विचार विमर्श आयोजित किये गये जिसमें निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, सम्बन्धित कोषाधिकारियों/ उपकोषाधिकारियों तथा इस कार्यालय के अधिकारियों ने उपमहालेखाकार (लेखा) की अध्यक्षता में भाग लिया जिसके फलस्वरूप जिला देहरादून, मसूरी, ऋशिकेश, त्युनि, चकराता, हरिद्वार, उपकोषागार हरिद्वार, लक्सर, रूड़की, पी.ए.ओ., रूद्रप्रयाग, अगस्तमुनी, जखौली, उखीमठ में स्थापित कोषागारों एवं उपकोषागारों से सम्बन्धित लम्बित 14 निरीक्षण आख्यायें एवं 90 प्रस्तारों एवं 29 नमूना/सम्पूरक नमूना जांच टिप्पणियों का निस्तारण किया गया।

(परिशिष्ट-09)

3.3 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.3.1 नई पेंशन योजना (NPS-2005) के अर्न्तगत Employers contribution के रूप में जमा किये गये अंशदान के गलत लेखा शीर्ष से debit करने के सम्बन्ध में ।

दिनांक 01-01-2005 के पश्चात् राज्य सेवा में कार्यरत/सेवारत कर्मचारियों के NPS के अर्न्तगत कटौतियों Defined contribution scheme के अनुसार सुनिश्चित कराना निर्धारित हैं। इस योजना के अनुसार कर्मचारियों से 10% वेतन + DA के बराबर की राशि एवं इसी राशि के बराबर Matching राशि के रूप में employers के contribution सहित सम्पूर्ण राशि को प्राधिकृत निधि मैनेजर (Designate Fund Manager) को NSDL के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि कर्मचारियों के अंशदान एवं Employers के Matching Amount का पुस्तांकन लेखा शीर्षक 2071-117 के अर्न्तगत किया जाये। निरीक्षण में पाया गया कि राज्य के कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं करते हुए NPS की सम्पूर्ण राशि का लेखांकन कर्मचारी के सुसंगित लेखाशीर्ष (Service/Functional Major Head) के अर्न्तगत वेतन मद में आवटित बजट राशि के Gross amount से घटाया जाता है, जबकि नियमानुसार कर्मचारी के NPS अंशदान की मासिक कटौती सम्बन्धित विभाग के सुसंगित लेखा शीर्ष तथा employers के Matching राशि की कटौती लेखाशीर्ष 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ में होनी चाहिए।

3.3.2 वर्ष 2014-15 की TR-24 से आहरित राशि ₹11,95,21,645/- का समायोजन न किया जाना ।

वित्तीय नियमावलीनुसार TR-24 एवं TR-27 के अर्न्तगत, सभी कोषागारों/उपकोषागारों से सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) द्वारा आहरित की गयी धनराशि का समायोजन समान वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए परन्तु वर्ष 2016-17 के कोषागार निरीक्षण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि विभिन्न DDOs द्वारा अनियन्त्रित ढंग से TR-24 एवं TR-27 के अर्न्तगत धनराशि आहरित की गयी जिसका समायोजन निरीक्षण दिनांक तक नहीं किया गया। सम्बन्धित प्रकरणों का विवरण निम्नवत् हैं।

TR-24/TR-27

क्रम सं०	कोषागार	धनराशि	वर्ष/माह	विभाग
1	मुख्य कोषागार सदर उत्तरकाशी	2 करोड़	2014	जिलाधिकारी उत्तरकाशी सदर कोषागार
2	चमोली (गोपेश्वर)	62728100/-	2014	कोषागार चमोली
3	राजगढ़ी (बड़कोट)	36793545/-	-	उपकोषागार बड़कोट
		119521645/-		

3.3.3 नकद साख सीमा (सी.सी.एल.) वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष नकद साख सीमा (सी.सी.एल.) धनराशि रुपये 82.94 लाख को अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यवर्तित करना ।

नियमानुसार साख सीमा में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष सी.सी.एल. राशि स्वतः Laps हो जाती है अतः किसी भी परिस्थिति में अवशेष साख सीमा राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यवर्तित नहीं किया जा सकता। कोषागार निरीक्षण में उपकोषागार जोशीमठ द्वारा उक्त नियम के उलंघन का प्रकरण प्रकाश में आया है। उपकोषागारों द्वारा दिनांक 30.03.2016 एवं दिनांक 31.03.2016 को क्रमशः रु 3579000/- एवं 4718645/- का भुगतान बैंक द्वारा किया गया है तथा इस प्रकार से किए गये भुगतान केवल धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में व्यवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाता है। सम्पूर्ण विवरण हेतु कोषागार निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या टी.एम./टी.आई./2017-18/34 दिनांक 30.03.2017 का सन्दर्भ लिया जा सकता है।

3.3.4 कोषागारों द्वारा बैंकों को साख सीमा एवं जमा साख सीमा का विलम्ब से सूचित करना ।

सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 के समय से निर्गत न होने से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य किये जाने में अवरोध उत्पन्न होता है जिससे विकास कार्यो को समय से पूर्ण कराने में बाधा उत्पन्न होती है। इस लिए नकद साख सीमा (C.C.L.)/जमा साख सीमा (D.C.L.) के निर्गत करने की वास्तविक सूचना सम्बन्धित बैंक शाखा को एवं विभागों अथवा खण्डों को तत्काल प्रेषित करना अनिवार्य है। कोषागारों के निरीक्षण से संज्ञान में आया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 की बैंक शाखाओं को वास्तविक सूचना विलम्ब से प्रेषित की गई। विलम्ब की अवधि 5 से 90 दिन तक पायी गई है।

(परिशिष्ट-10)

3.3.5 पी0एल0 खातों से ₹ 15.59 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी।

व्यक्तिक लेखा खातों के खोलने की सुविधा/सृजन का उद्देश्य/ प्रयोजन आहरण-वितरण अधिकारी को सरकारी समयबद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करना है। इसी प्रकार व्यक्तिक खातों का वास्तविक उद्देश्य विभागीय अध्यक्षों को सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में गति प्रदान करना है।

उक्त प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिक लेखा खातों से आहरण केवल तत्काल आवश्यकता में तथा निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए बिल के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार कोषागार स्तर पर पी0एल0 खातों में जमा धनराशि को आहरित करते समय अत्यन्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। परन्तु कोषागार निरीक्षण के मध्य प्रायः संज्ञान में आया है कि इन खातों की सुविधा के प्रयोजन का उल्लंघन हो रहा है जिसके कारण इन खातों का काफी दुरुपयोग हुआ है। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया की कोषागार स्तर पर पी0एल0ए0 धारकों द्वारा सेल्फ ज्ञान बैंक के आधार पर खातों से धन निकासी पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही है। पी0एल0ए0 धारकों द्वारा सेल्फ ज्ञान बैंक के आधार पर आहरित धनराशि अनावश्यक रूप से बैंक में जमा की जाती है तथा इस स्थिति में शासकीय राशियों के दुरुपयोग होने की प्रबल सम्भावनायें होती हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तिगत खाता धारकों द्वारा सेल्फ ज्ञान बैंक के आधार पर धनराशि ₹ 15,59,48,863/- का आहरण किया गया जिससे कोषागार के स्तर पर अत्यन्त निगरानी का अभाव सिद्ध होता है। राज्य की अर्थव्यस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु कोषागार के स्तर पर व्यक्तिक खातों से सेल्फ ज्ञान बैंक के आधार पर अनियन्त्रित निकासी पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

(परिशिष्ट -11)

3.3.6 CTS प्रणाली के सॉफ्टवेयर में कमी के कारण PLA खातों में ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित होना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 340 (बी) 11(2) के निर्देशों के अनुसार पी0एल0ए0 खातों का रख-रखाव व संचालन कोषाधिकारी द्वारा वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए किया जाएगा, तथा किसी भी परिस्थिति में पी0एल0ए0 खातों में अंतिम अवशेष ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक अवशेष का उपलब्ध होना पी0एल0ए0 खाते से अनियमित भुगतान/निकासी की पुष्टि करता है, कोषागार निरीक्षण में देहरादून कोषागार में विभिन्न पी0एल0ए0 धारकों के मासिक खातों में ऋणात्मक धनराशि का प्रकरण प्रकाश में आया है।

इंगित किए जाने पर ऋणात्मक धनराशि का कारण Input-9 में सॉफ्टवेयर की कमी का होना बताया गया है।

(परिशिष्ट -12)

3.3.7 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निर्धारित निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम 469(ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए। दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस पर आंशिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के परिशिष्ट 21 के अनुसार हर वर्ष में जिला कोषागार का निरीक्षण एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया।

(परिशिष्ट -13)

3.3.8 कोषागारों/उपकोषागारों में कालातीत सामान्य भविष्य निधि के प्राधिकार पत्रों का निस्तारण न किया जाना।

कार्यालय महालेखाकार द्वारा निर्गत सामान्य भविष्य निधि भुगतान प्राधिकार पत्रों पर नियमानुसार 6 महीने की समय अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना निर्धारित है। यदि किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में भुगतान सम्भव नहीं हो पाता तथा प्राधिकार पत्र कालातीत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी कालातीत प्राधिकार पत्रों को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून को अभुगतान प्रमाण पत्र के साथ पुर्नभुगतान हेतु वापस किये जाने चाहिए, परन्तु विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि परिशिष्ट 14 में दर्शाये गए प्रकरणों में कोषागार द्वारा कालातीत हुए प्राधिकार पत्रों को महालेखाकार का वापस नहीं किया गया।

(परिशिष्ट-14)

3.3.9 नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशनरस/ कर्मचारियों के वेतन से अंशदान एवं सरकारी अंशदान की कटौती न किया जाना।

नई पेंशन स्कीम के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + ग्रेडपे + डी0ए0) का 10 प्रतिशत कटौती करके उतनी ही राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम के खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नव नियुक्ति सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके "खाता संख्या" का आवंटन करायें। परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है।

इसी प्रकार नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों/अधिकारियों के शासकीय सेवा में आने के 01 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् एन0पी0एस0 से अंशदान की कटौती का किया जाना अनिवार्य है परन्तु उपकोषागार के वेतन बिल के निरीक्षण में पाया गया है कि कर्मचारियों के वेतन से एन0पी0एस0 नहीं काटा जा रहा है।

(परिशिष्ट -15)

3.3.10 57,50,576/- धनराशि का दोहरा भुगतान

कोषागार ऑनलाइन भुगतान एवं लेखांकन प्रक्रिय एवं पद्धति की जांच में रु 57,50,576/- के दोहरे भुगतान के प्रकरण संज्ञान में आये हैं

उल्लेखनीय है कि कोषागार स्तर पर दोहरे भुगतानों को जांचने की कोई प्रक्रिया/विकसित नहीं है। यह जानकारी खाता धारक की स्वीकारोक्ति पर निर्भर है। यदि खाता धारक अथवा आहरण वितरण अधिकारी दोहरे भुगतान को स्वीकार नहीं करें तो कोषागार लेखांकन पद्धति (System) दोहरे भुगतान को बताने में असमर्थ है। दोहरे भुगतान को रोकने के कोई अवरोधक नहीं है, यदि कोषागार ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में Cross Checking की व्यवस्था होती तो भी दोहरे भुगतान को रोका जा सकता था। कोषागार द्वारा इसका कारण तकनीकी कारणों को बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि System दोषपूर्ण है। दोहरे भुगतान का विवरण निम्नवत हैं।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	दोहरे भुगतान की राशि	कोषागार निरीक्षण प्रतिवेदन सं० एवं दिनांक
1.	राजगढ़ी (बडकोट)	1,68,406 /-	T.M/T.R/2016-17/06, 30.08.2016
2.	उत्तरकाशी (सदर)	55,82,170 /-	T.M/T.I/2016-17/09, 01.09.2016
	योग	57,50,576 /-	

3.3.11 उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक संत्राश लाभ की अवधि में सेवानिवृत्ति लाभों को गणना में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 329/XXIV-2/10-9 (11)/2008 दिनांक 08.04.2011 संख्या 848/XXIV-2/11-9(11)/2008 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या: 376/XXIV-2/12/2011 दिनांक 06.06.2012 द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान सेवानिवृत्ति होने वाले अध्यापकों को शैक्षिक सत्र के अंतिम कार्य दिवस (31 मार्च) को किए जाने हेतु संत्राश लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके आधार पर विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान सम्बन्धित डी०डी०ओं एवं सी०सी० ओ० द्वारा किया जा रहा है। परन्तु उक्त शासनादेशों से शैक्षिक सत्र की अवधि में वेतन वृद्धि एवं संत्राश पर सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति लाभों (पेंशन, उपादान, राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण) के निस्तारण की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सेवाकाल का विस्तार शैक्षिक सत्र के दौरान अध्यापन कार्य से व्यवधान को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है परन्तु ऐसे विस्तारित सेवाकाल को संत्राश लाभ के अधीन सेवानिवृत्त लाभों का वितरण करके सेवानिवृत्ति के मूल उद्देश्यों का उल्लंघन हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय द्वारा किये जाने वाले कोषागारों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में संत्राश लाभ को सेवाकाल में जोड़ा जा रहा है जो कि पेंशन सम्बन्धी नियमों का घोर उल्लंघन है। इसलिए सेवानिवृत्ति तिथि के पश्चात् संत्राश लाभ की सेवा अवधि को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल करने के फलस्वरूप पेंशन ग्रेच्युटी एवं राशिकरण का अधिक भुगतान पेंशन नियमों के विरुद्ध है। इस पर तत्काल सम्बन्धित पक्षों/विभागों को दिशा-निर्देश जारी किया जाए ताकि राजकोषीय वित्त का दुरुपयोग पर रोक लगायी जा सकें।

जिसका विवरण/उदाहरण निम्नवत् है।

क्रम सं०	कोषागार	पेंशनर का नाम	मूल वेतन (संत्राश पर)
1.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री रमेश प्रसाद सेमवाल	रु 28,560 /-
2.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री प्रधुम्न पुरी गोस्वामी	रु 28,560 /-
3.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री दिगम्बर सिंह भण्डारी	रु 23,590 /-
4.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री कुंवर सिंह आर्य	रु 31,330 /-
5.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री विजय कुमार लखेरा	रु 28,550 /-
6.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री चित्र सिंह रावत	रु 28,560 /-

यह प्रकरण पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य के सचिव, वित्त के अर्द्धासकीय पत्र संख्या टी०एम०/टी०आई०/2015-16/517 दिनांक 04.08.2015 के माध्यम से संज्ञान में लाया जा चुका है।

3.4 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.4.1 पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों-पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारणवश सेवानिवृत्त लाभों का कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया था और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया था। परिशिष्ट 20 में दर्शाये गए प्रकरणों में पेंशन, उपादान एवं राशिकरण के मद में क्रमशः ₹ 8,24,906/- एवं ₹ 1,23,25,252/- का अधिक या कम भुगतान किया गया।

(परिशिष्ट -16)

3.4.2 सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को बैंक/डीपीडीओ को हस्तान्तरित नहीं करना।

निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून ने अपने पत्रांक 991/22(5)11/सैन्य पेंशन पत्राचार/निओकोविओसेओ/2013, दिनांक 16 सितम्बर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषाधिकारियों/उपकोषाधिकारियों को प्रधान लेखा निदेशक (पेंशन) इलाहाबाद के पत्र संख्या AT/Tech/269/Vol VI/PCDA(P) Allahabad दिनांक 06.09.2013 का संदर्भ देते हुए उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों/उपकोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी रक्षा पेंशनरों के मूल-अभिलेखों को DPDO देहरादून को हस्तगत करने को कहा था ताकि भविष्य में रक्षा पेंशनरों को उक्त कार्यालय से पेंशन का भुगतान किया जा सके तथा समय-समय पर रक्षा पेंशनरों को समान रूप से लाभ मिल सकें।

वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा 1419 सैनिक पेंशनरों के प्रकरण डीपीडीओ अथवा निर्धारित बैंक शाखा में हस्तान्तरित करना अभी भी अपेक्षित था।

(परिशिष्ट -17)

3.4.3 अन्य राज्यों के पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से भुगतान करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा एक निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता राशि का भुगतान करने की व्यवस्था निर्धारित है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ता राशि का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा संबंधित निर्देशों/शासनादेशों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। कोषागारों द्वारा या तो चिकित्सा भत्ते का भुगतान ही नहीं किया जा रहा है और यदि किया भी जा रहा है तो वो निर्धारित दर से कम किया जा रहा है।

(परिशिष्ट -18)

3.4.4 शासकीय कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुरूप 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वेओसाओनिओ) अनुभाग-7 संख्या-419/ XXVII(7)/2008 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 8(1) के अनुसार दिवंगत हुए सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बड़ी दर पर पारिवारिक पेंशन 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी। कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है। तथा बड़ी दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं की है।

(परिशिष्ट -19)

3.4.5 छठे वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित तिथि से समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को छठे वेतनमान द्वारा अनुमानित पेंशन का निर्धारण करना अनिवार्य था तथा उक्त नियम को दृष्टिगत रखते हुए कोषागारों से अपेक्षित था कि निर्धारित तिथि से समस्त पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन भुगतान नए पेंशन दर से भुगतान करें। परन्तु विभिन्न कोषागारों द्वारा

पेंशनरों के प्रकरणों में छटे वेतन आयोग के आधार पर पेंशन राशि का निर्धारण नहीं किया गया जिसके कारणवश सम्बन्धित पेंशनरों को छटे वेतन आयोग की पेंशन वृद्धि से वंचित होना पड़ा।

(परिशिष्ट –20)

3.4.6 स्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे/2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर-3 के अनुसार कोषागार, सम्बन्धित पेंशनरों के स्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र 16-ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराने का प्रावधान है परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। कोषागार के स्तर से न तो स्रोत पर आयकर की कटौती की जाती है और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष कोई प्रमाण पत्र लिया जाता है। वर्ष 2016-17 में निरीक्षण दलों द्वारा जांचे गए प्रकरणों में आयकर के रूप में धनराशि ₹ 33,81,956/- की कटौती नहीं किए जाने के तथ्य संज्ञान में आए थे।

(परिशिष्ट-21)

(परिशिष्ट-1) पैरा-1.2

उत्तराखण्ड स्थित कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	क्र.स.	कोषागार का नाम	क्र.स.	उपकोषागार का विवरण	बैंकिंग/ नान बैंकिंग
1	नैनीताल	1	नैनीताल	1	1- बेतालघाट	बैंकिंग
				2	2- कोशियाकुटोली	बैंकिंग
				3	3- रामनगर	बैंकिंग
				4	4- कालाढूँगी	बैंकिंग
				5	5- धारी	बैंकिंग
		2	हल्द्वानी			
2	अल्मोड़ा	3	अल्मोड़ा	6	1- द्वाराहाट	बैंकिंग
				7	2- चौखुटिया	बैंकिंग
				8	3- मोलेखाल	बैंकिंग
				9	4- लमगड़ा	बैंकिंग
				10	5- ताकुला	बैंकिंग
				11	6- दन्या	बैंकिंग
				12	7- देघाट	बैंकिंग
				13	8- रानीखेत	बैंकिंग
				14	9- भिकियासैण	बैंकिंग
				15	10- सोमेश्वर	बैंकिंग

3	पिथौरागढ़	4	पिथौरागढ़	16	1- धारचूला	बैंकिंग
				17	2- गंगोलीहाट	बैंकिंग
				18	3- थल	बैंकिंग
				19	4- मुंस्यारी	बैंकिंग
				20	5- अस्कोट	बैंकिंग
				21	6- देवलथल	बैंकिंग
				22	7- गणई गंगोली	बैंकिंग
				23	8- बेरीनाग	बैंकिंग
				24	9- डीडीहाट	बैंकिंग
				25	10- नाचनी	बैंकिंग
4	चम्पावत	5	चम्पावत	26	1- लोहाघाट	बैंकिंग
				27	2- पाटी	बैंकिंग
				28	3- टनकपुर	बैंकिंग
5	बागेश्वर	6	बागेश्वर	29	1- कपकोट	बैंकिंग
				30	2- गरुड	बैंकिंग
				31	3- काण्डा	बैंकिंग
				32	4- ढुंगनाकुरी	बैंकिंग
6	उधमसिंहनगर	7	उधमसिंहनगर	33	1- जसपुर	बैंकिंग
				34	2- काशीपुर	बैंकिंग
				35	3- बाजपुर	बैंकिंग
				36	4- गदरपुर	बैंकिंग
				37	5- किच्छा	बैंकिंग
				38	6- सितारगंज	बैंकिंग
				39	7- खटीमा	बैंकिंग
7	देहरादून	8	देहरादून	40	1- मसूरी	बैंकिंग
				41	2- विकासनगर	बैंकिंग
				42	3- ऋषिकेश	बैंकिंग

				43	4- त्यूनी	बैंकिंग
				44	5- चकराता	बैंकिंग
8	रुद्रप्रयाग	9	रुद्रप्रयाग	45	1- अगस्तमुनी	बैंकिंग
				46	2- ऊखीमठ	बैंकिंग
				47	3- जखोली	बैंकिंग
9	टिहरी	10	टिहरी	48	1- घनसाली	बैंकिंग
				49	2- प्रतापनगर	बैंकिंग
		11	नरेन्द्रनगर	50	1- देवप्रयाग	बैंकिंग
				51	2- थत्यूड	बैंकिंग
				52	3- नैनबाग	बैंकिंग
10	हरिद्वार	12	हरिद्वार	53	1- हरिद्वार	बैंकिंग
		13	रुड़की	54	2- लक्सर	बैंकिंग
11	चमोली	14	गोपेश्वर चमोली	55	1- जोशीमठ	बैंकिंग
				56	2- चमोली	बैंकिंग
				57	3- पोखरी	बैंकिंग
				58	4- गैरसैण	बैंकिंग
				59	5- घाट	बैंकिंग
				60	6- देवाल	बैंकिंग
				61	7- नारायणबगड़	बैंकिंग
				62	8- थराली	बैंकिंग
				63	9- कर्णप्रयाग	बैंकिंग
12	उत्तरकाशी	15	उत्तरकाशी	64	1- भटवाड़ी	बैंकिंग
				65	2- डुण्डा	बैंकिंग
				66	3- राजगढ़ी (बड़कोट)	बैंकिंग
				67	4- पुरोला	बैंकिंग

13	पौड़ी	16	पौड़ी	68	1- श्रीनगर	बैंकिंग	
				69	2- सतपुली	बैंकिंग	
				70	3- थैलीसैण	बैंकिंग	
		17	कोटद्वार	71	4- धूमाकोट	बैंकिंग	
		18	लैन्सडाउन		-	बैंकिंग	
		19	साईबर टेजरी, देहरादून				
		20	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली				

(परिशिष्ट-2) पैरा-2.2
त्रुटिपूर्ण/ गलत वर्गीकरण का लेखा संशोधन

कोषागार का नाम	मुख्य लेखाशीर्ष जिसमें गलती से धनराशि बुक हो गई थी	मुख्य लेखाशीर्ष जिसमें धनराशि वास्तव में बुक की जानी थी	धनराशि	अन्तरण प्रविष्टि संख्या	माह
चम्पावत	87820010201	87820010203	400000	46335/18-07-2016	04/2016
उत्तरकाशी	80090110101	80090110102	29486	46347/19-07-2016	03/2013
	002900101	003900800	15500	46880/20-12-2016	09/2016
	844300106	84430010402	328860	47091/03-03-2017	08/2015
कोटद्वार	003002102	020202101	3377	46350/20-07-2016	05/2016
	02020110101	02020110202	25970	46882/21-12-2016	07/2016
अल्मोड़ा	8782001030102	8782001080202	237000	46405/22-07-2016	05/2016
	042500800	00450010100	953	46617/17-10-2016	07/2016
	070202800	00290080004	62	46618/18-10-2016	05/2016
	801100107	80090110102	327100	47406/09-05-2017	07/2014
	80090110102	801100107	18400	47407/09-05-2017	07/2014
देहरादून	00390010100	00550010101	20	46604/13-10-2016	04/2016
नैनीताल	76100020200	0049048000202	5080	46645/09-11-2016	07/2016
चमोली	02020110101	02020110202	13830	46647/10-11-2016	07/2016
	844300104010192	8443001050000	1800	46879/20-12-2016	06/2016
रूड़की	00390010502	00300280040	115610	46985/18-01-2017	11/2016
हल्द्वानी	003900101	00300280090	200000	47018/20-01-2017	04/2016
पिथौरागढ़	08530010201	84430010802	900965	47310/19-04-2017	08/2016

बागेशवर	05150010101	84430012101	90450	47378/02-05-2017	07/2014
	05150010101	84430012100	80450	47379/02-05-2017	06/2014
	05150010101	84430012100	22480	47380/02-05-2017	03/2014
	00400010101	00410010200	210782	47384/04-05-2017	01/2017

(परिशिष्ट-3) पैरा-2.3

विभिन्न बजट अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 त्रैमासिक आय-व्ययक मिलान की स्थिति

क्र०सं०	बजट नियंत्रण अधिकारियों/ विभागाध्यक्षों का नाम	प्राप्ति शीर्ष	अनुदान सं०	व्यय शीर्ष	1 st	2 nd	3 rd	4 th	1 st	2 nd	3 rd	4 th
					व्यय पक्ष	मिलान	स्थिति	प्राप्ति पक्ष	मिलान	स्थिति		
1	सचिव विद्यान सभा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।		01	2011, 4059								
2	सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन।		02	2012	नहीं			नहीं				
3	सचिव/वित्तअधिकारी सचिवालय प्रशासन उत्तराखण्ड शासन।		03 06 07	2013 2070 2052								
4	महानिबन्धक उच्च न्यायालय नैनीताल।		04	2014,4059								
5	मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4, सुभाष रोड देहरादून।		05	2015	नहीं	नहीं	नहीं		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6	मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड लाडपुर देहरादून।	0029	06	2029,2053,4059	नहीं	नहीं		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	सचिव, सामान्य प्रशासन सचिवालय उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	0070	06 07	2053,2070,4059,2052	नहीं	नहीं						नहीं
8	कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड दून हिल्स कालोनी, रिंग रोड, लाडपुर देहरादून।	0070	06	2070,4059						नहीं	नहीं	नहीं
9	निदेशक प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।	0075	06	2070,2075	नहीं				नहीं			
10	आयुक्त, राहत राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन।		06	2245		नहीं	नहीं	नहीं				
11	आयुक्त कर 405, इन्दिरा नगर देहरादून।	0030 0040 0045	07	2030,2040,2045		नहीं						नहीं
12	निदेशक राष्ट्रीय बचत 48, बलवीर रोड डालनवाला, देहरादून।	0047	07	2047						नहीं		नहीं

13	रजिस्ट्रार, चिट फण्ड उत्तराखण्ड 3/23 शास्त्री नगर रोड देहरादून।	0047 1475	07	2047		नही							
14	प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।		07	2048,2049,2052,3604,4059,4216,4515	नही	नही	नही	नही					
15	सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन।		07	2048,2049,2052,3604,4059,4216,4515	नही	नही	नही	नही					
16	निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवार्ये 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।		07	2054						नही	नही	नही	
17	निदेशक, लेखा एवं हकदारी 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून।	0071	07	2054,2071					नही				नही
18	सचिव नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन उत्तराखण्ड।		07	3451,3454,4059						नही	नही	नही	
19	आयुक्त आबकारी सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	0039	08	2039,4059		नही				नही	नही	नही	नही
20	सचिव, लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वारा।	0051	09	2051,4059	नही	नही	नही	नही	नही			नही	नही
21	महानिदेशक, पुलिस, 12 सुभाष रोड, देहरादून।	0055	10	2055,4055,4059					नही				नही
22	महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड देहरादून।	0056	10	2056,4059						नही	नही	नही	
23	निदेशक, उच्च शिक्षा नवावी रोड हल्द्वानी।	0202	11,30,31	2202,4202						नही	नही	नही	नही
24	निदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय, उत्तराखण्ड पी-1 नागनाथ रोड घंघोडा कैंट देहरादून।	0202	11	2202,4202	नही	नही				नही	नही	नही	नही
25	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड नूनर खेडा देहरादून।	0202	11,30,31	2202,4202				नही		नही		नही	नही
26	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, मुख्यालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल (कैम्पस रा0 पालीटेकनीक)	0202	11,30	2203,4202,2203						नही	नही	नही	नही
27	निदेशक खेलकूद एवं युवा कल्याण रायपुर देहरादून।	0202	19,11,30,31	2515,2204,4202		नही				नही		नही	नही

28	निदेशक, संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड एम0डी0डी0ए0 कालोनी डालनवाला, देहरादून।	0202	11,30,31	2205,4202						नही	नही	नही
29	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	0210 0211	12,30,31	2210,2211,4210,4211		नही			नही	नही	नही	
30	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।	0210	1230	2210,4210		नही			नही	नही	नही	नही
31	निदेशक, होम्योपैथी सेवायें, उत्तराखण्ड ग्राम गुलराडा पो0 डाण्डा लखौड़ा, सहस्रधारा रोड़ निकट आई टी0 पार्क, देहरादून।	0210	12,30,31	2210,4210		नही			नही	नही	नही	नही
32	प्राचार्य श्री वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली रा0 आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर पौडी गढ़वाल।	0210	12	2210,4210	नही				नही	नही	नही	नही
33	सचिव, जलापूर्ति उत्तराखण्ड देहरादून।	0215	13,30,31	2215,4215,2215					नही	नही	नही	नही
34	सचिव, आवास एवं नगर विकास सचिवालय उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	0216 0217	13,30,31	2217,4217	नही	नही			नही			
35	आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उदय विहार ब्राहमणवाला, हरिद्वार बाई पास रोड़ देहरादून।		1319	2217,4217,2515,4059,4515							नही	नही
36	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, 12 ई0सी0 रोड़ देहरादून।	0220	14,30,31	2220,4059,2220		नही	नही		नही	नही	नही	नही
37	निदेशक, समाज कल्याण, कालादूगी रोड़, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी नैनीताल।	0235 0250	15,30,31	2225,2235,2250,2251,4225,4235,4250,2225,2235,4225,4235					नही			
38	उप निदेशक, निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड 15-सी कालीदास मार्ग, हाथी बडकला देहरादून।		15,30,31	2225,2225,2235,4225,4235				नही		नही	नही	नही
39	आयुक्त, श्रम उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	0230	16,30,31	2210,2230,4216,2210,2230,4210,					नही	नही		

40	निदेशक, कृषि कैंप कार्यालय नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून।	0401	17,30,31	2401,2402,2415,4401,2401,2402								
41	वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।		17	2415,4401			नहीं	नहीं		नहीं	नहीं	नहीं
42	निदेशक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, काशीपुर ऊधम सिंह नगर।	0401	17,30,31	2401,4401,2401	नहीं				नहीं			
43	निबन्धक, सहकारी समितियां, 125, ओल्ड नेहरू कालोनी देहरादून।	0425	18,30,31	2425,4425	नहीं				नहीं			
44	आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।	0515	07,19,30,31	4515,2501,2515,4515						नहीं	नहीं	नहीं
45	प्रमुख अभियंता, सिचाई विभाग उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।	0700 0701 0702	20,30,31	2700,2701,2702,2705,2711,4700,4701,4702,4711,4700,4702,4711	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
46	सचिव ऊर्जा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	0801 0810	21,30,31	2801,2810,4801			नहीं			नहीं	नहीं	नहीं
47	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग यमुना कालोनी, देहरादून।	0059	22,30,31	2059,2216,3054,4059,5054,5054,4059,5054						नहीं		नहीं
48	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री इण्डस्ट्रियल एरिया रामनगर, रूड़की।	0058	23	2058,4058						नहीं		
49	निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	0851 0852 0853 0875	23,30,31	2851,2853,3425,4851,4859,4885,2851							नहीं	नहीं
50	सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उत्तराखण्ड देहरादून।	0851 0852 0853 0875	23,30,31	2851,2853,3425,4851,4859,4885,2851			नहीं	नहीं		नहीं	नहीं	नहीं
51	निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय वित्त एवं लेखा कार्यालय सहस्त्राधारा हैलीड्रोम P.O. कुल्हान देहरादून 248013	1053	24	3053,5053,5055	नहीं	नहीं	नहीं			नहीं	नहीं	नहीं

52	आयुक्त, परिवहन कुल्हान सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	1054 1055	24	2041,3055,50 53,5055	नहीं		नहीं		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
53	आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग 8,ए बंगाली लाइब्रेरी रोड देहरादून।	0408	25	2408,3456,34 75,4408					नहीं	नहीं		नहीं
54	सचिव, खाद्य नियन्त्रक बाट तथा माप उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	1475	25	3475		नहीं		नहीं	नहीं			
55	निदेशक, पर्यटन निदेशालय 3/3 इण्डस्ट्रियल एरिया पटेल नगर देहरादून।	1452	26,30, 31	3452,5452,54 52						नहीं	नहीं	
56	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, 87 राजपुर रोड, देहरादून।	0406	27,30, 31	2406,2407,44 06,2406,4406, 2406					नहीं			
57	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड पशुधन भवन पो0 मोथरोवाला देहरादून।	0403	28,30, 31	2403,4403								
58	आयुक्त, दुग्ध डेयरी डेवलेपमेन्ट विभाग उपनिदेशक डेयरी विकास विभाग संपर्क कार्यालय कैपस आंचल डेरी रायपुर देहरादून।	0404	28,30, 31	2404,4404						नहीं	नहीं	नहीं
59	निदेशक, मत्स्य उत्तराखण्ड बाड़ासी ग्रान्ट, ग्राम घन्याडी रायपुर देहरादून।	0405	28,30, 31	2405,4405,24 05	नहीं	नहीं	नहीं		नहीं	नहीं	नहीं	
60	निदेशक, उद्यान निदेशालय उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत अल्मोड़ा।	0401 0070	29,30, 31	2401,4401,24 01						नहीं		
61	निदेशक, रेशम निदेशालय, प्रेमनगर देहरादून।	0401 0815	29,30, 31	2401,4401,24 01		नहीं						

62	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।		30,31	2202,2203,2204,2205,2210,2211,2215,2217,2220,2225,2230,2235,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2425,2501,2515,2801,2810,2851,4059,4202,4210,4211,4217,4225,4235,4403,4406,4408,4515,4700,4702,4711,4801,5054,5055,5452	नहीं													
----	--	--	-------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(परिशिष्ट-4) पैरा-2.5

कोषागार वार आपत्ति पुस्तिका उचन्त में पड़ी व्यय पक्ष की धनराशि का विवरण

क्रम सं०	कोषागार का नाम	धनराशि (₹ में)
1-	बागेश्वर	32661
2-	चम्पावत	00
3-	देहरादून	64100
4-	लैन्सडाउन	1474918
5-	नैनीताल	312868
6-	पौड़ी गढवाल	5055
7-	रूड़की	11320
8-	उत्तरकाशी	81330
योग		1982252

(परिशिष्ट-5) पैरा-2.6

लेखाशीर्ष 6425 – सहकारिता के लिए ऋण के अन्तर्गत वांछित वसूली अनुसूचियां

क्रम सं०	कोषागार	माह	धनराशि
1-	उत्तरकाशी	मार्च, 2017	3,99,250 / -
2-	रुड़की	मार्च, 2017	71,250 / -
3-	न्यू टिहरी	जनवरी, 2017	1,00,000 / -
4-	अल्मोड़ा	जनवरी, 2017	40,000 / -
5-	उधमसिंह नगर	मई, 2016	1,97,686 / -
6-	नैनीताल	मई, 2016	10,000 / -
7-	नैनीताल	अप्रैल, 2016	55,625 / -

(परिशिष्ट-6) पैरा-2.7

वर्ष 2016-2017 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे का विवरण

क्र.सं.	कोषागार का नाम	सूची	लेखा माह	प्राप्ति का दिनांक	विलम्ब (दिन)
1	नैनीताल	1	जनवरी	08.03.2016	52
		2	जनवरी	08.03.2016	31
		1	फरवरी	30.03.2016	40
		1	मार्च	19.04.2016	33
		2	मार्च	29.04.2016	41
		1	अप्रैल	06.05.2015	19
		2	अप्रैल	23.05.2016	18
		1	मई	06.06.2016	11
		1	जून	20.06.2016	02
		2	अक्टूबर	16.11.2016	06
		2	नवम्बर	14.12.2016	06
		2	दिसम्बर	09.01.2017	02
		1	फरवरी	20.02.2017	03
		2	फरवरी	09.03.2017	01
		1	मार्च	20.03.2017	03
		2	मार्च	12.04.2017	04
		1	अप्रैल	20.04.2017	03
2	अप्रैल	15.05.2017	07		

2	हल्द्वानी	1	जनवरी	26.02.2016	39
		2	जनवरी	26.02.2016	20
		1	फरवरी	18.03.2016	29
		2	फरवरी	18.03.2016	11
		1	मार्च	18.03.2016	32
		2	मार्च	04.05.2016	17
		1	अप्रैल	18.05.2016	31
		1	मई	18.05.2016	01
		2	मई	08.06.2016	29
		2	जनवरी	20.02.2017	12
		1	फरवरी	20.02.2017	03
		1	मार्च	20.03.2017	03
		2	मार्च	12.04.2017	04
3	अल्मोड़ा	1	जनवरी	08.03.2016	52
		2	जनवरी	08.03.2016	31
		1	फरवरी	17.03.2016	28
		2	फरवरी	17.03.2016	10
		1	मार्च	21.03.2016	04
		2	मार्च	22.04.2016	33
		1	अप्रैल	28.04.2016	41
		2	अप्रैल	13.05.2016	16
		1	मई	20.05.2016	03
		2	मई	06.06.2016	31
		2	मार्च	10.04.2017	02
4	पिथौरागढ़	1	जनवरी	08.03.2016	52
		2	जनवरी	15.03.2016	38
		1	फरवरी	15.03.2016	27
		2	फरवरी	22.03.2016	15
		1	मार्च	22.03.2016	36
		2	मार्च	22.04.2016	31
		1	अप्रैल	16.05.2016	29

		1	मई	18.05.2016	01
		2	मई	08.06.2016	29
		2	जून	14.07.2016	03
		1	अगस्त	22.08.2016	05
		2	अक्टूबर	18.11.2016	08
		1	नवम्बर	21.11.2016	04
		1	दिसम्बर	19.12.2016	02
		2	दिसम्बर	12.01.2017	05
		2	जनवरी	10.02.2017	02
		1	फरवरी	20.02.2017	03
		2	फरवरी	20.03.2017	12
		1	मार्च	20.03.2017	03
		2	मार्च	12.04.2017	04
		1	अप्रैल	20.04.2017	05
5	चम्पावत	1	जनवरी	26.02.2016	39
		2	जनवरी	04.03.2016	27
		1	फरवरी	04.03.2016	14
		2	फरवरी	09.03.2016	02
		2	मार्च	22.04.2016	40
		1	अप्रैल	22.04.2016	35
		1	मई	13.05.2016	04
		2	मई	06.06.2016	31
6	बागेश्वर	1	जनवरी	01.03.2016	45
		2	जनवरी	03.03.2016	26
		1	फरवरी	03.03.2016	13
		2	फरवरी	14.03.2016	07
		2	मार्च	22.04.2016	40
		1	अप्रैल	22.04.2016	35
		2	अप्रैल	12.05.2016	21
		1	मई	13.06.2016	26
		1	जून	20.06.2016	02
		2	दिसम्बर	09.01.2017	02
		2	जनवरी	09.02.2017	01

		1	फरवरी	20.02.2017	03
		1	मार्च	20.03.2017	03
		2	मार्च	13.04.2017	05
		1	अप्रैल	20.04.2017	03
7	उधमसिंहनगर	1	जनवरी	08.03.2016	52
		2	जनवरी	14.03.2016	37
		1	फरवरी	18.03.2016	29
		1	मार्च	18.04.2016	32
		2	मार्च	09.05.2016	21
		1	अप्रैल	09.05.2016	22
		2	मई	06.06.2016	31
		2	अक्टूबर	10.11.2016	01
		1	नवम्बर	24.11.2016	07
		2	नवम्बर	09.12.2016	01
				2	दिसम्बर
		2	जनवरी	09.02.2017	01
		1	फरवरी	20.02.2017	03
		1	मार्च	21.03.2017	04
		2	मार्च	13.04.2017	05
		1	अप्रैल	20.04.2017	03
8	देहरादून	1	जनवरी	04.03.2016	48
		2	जनवरी	15.03.2016	37
		1	फरवरी	18.03.2016	29
		2	मार्च	04.05.2016	22
		1	अप्रैल	06.05.2016	19
		2	अप्रैल	23.05.2016	18
		1	मई	24.05.2016	7
		2	मई	06.06.2016	31
		2	मार्च	13.04.2017	05
		1	अप्रैल	18.04.2017	01
		2	अप्रैल	09.05.2017	01

9	रुद्रप्रयाग	1	जनवरी	25.02.2016	38		
		2	जनवरी	25.02.2016	19		
		1	फरवरी	25.02.2016	08		
		2	फरवरी	10.03.2016	03		
		1	मार्च	17.03.2016	31		
		2	मार्च	21.04.2016	32		
		1	अप्रैल	25.04.2016	38		
		2	अप्रैल	11.05.2016	17		
		1	मई	16.05.2016	01		
		2	मई	06.06.2016	31		
		1	नवम्बर	18.11.2016	01		
		2	मार्च	13.04.2017	05		
		10	टिहरी	1	जनवरी	09.03.2016	53
				2	जनवरी	18.03.2016	41
1	फरवरी			29.03.2016	40		
1	मार्च			04.04.2016	18		
2	मार्च			02.05.2016	28		
1	अप्रैल			10.05.2016	23		
2	अप्रैल			16.05.2016	07		
1	मई			23.05.2016	06		
2	मई			07.06.2016	32		
1	जून			20.06.2016	02		
1	सितम्बर			19.09.2016	01		
2	अक्टूबर			15.11.2016	05		
1	नवम्बर			28.11.2016	11		
2	दिसम्बर			12.01.2017	05		
2	जनवरी			09.02.2017	01		
1	फरवरी			20.02.2017	03		
2	मार्च			12.04.2017	04		

11	नरेन्द्रनगर	1	जनवरी	01.03.2016	45
		2	जनवरी	15.03.2016	38
		1	फरवरी	15.03.2016	27
		2	फरवरी	15.03.2016	08
		1	मार्च	18.03.2016	34
		2	मार्च	29.04.2016	43
		1	अप्रैल	02.05.2016	15
		2	अप्रैल	09.05.2016	08
		1	मई	13.05.2016	04
		2	मई	03.06.2016	34
		2	अक्टूबर	08.11.2016	02
		2	दिसम्बर	17.01.2017	04
		1	फरवरी	21.02.2017	04
		2	मार्च	12.04.2017	04
12	हरिद्वार	1	जनवरी	25.02.2016	38
		2	जनवरी	09.03.2016	32
		1	फरवरी	09.03.2016	18
		2	फरवरी	28.03.2016	21
		1	मार्च	28.03.2016	42
		2	मार्च	22.04.2016	25
		1	अप्रैल	26.04.2016	33
		2	अप्रैल	17.05.2016	28
		2	मई	08.06.2016	29
		1	फरवरी	20.02.2017	03
		2	मार्च	12.04.2017	04

13	रूड़की	1	जनवरी	08.03.2016	52
		2	जनवरी	08.03.2016	31
		1	फरवरी	08.03.2016	17
		2	फरवरी	15.03.2016	08
		1	मार्च	21.03.2016	35
		2	मार्च	27.04.2016	37
		1	अप्रैल	27.04.2016	40
		2	अप्रैल	10.05.2016	11
		1	मई	13.05.2016	04
		2	मई	09.06.2016	28
		2	मार्च	13.04.2017	05
		14	गोपेश्वर ;चमोली	1	जनवरी
2	जनवरी			22.03.2016	45
1	फरवरी			19.02.2016	02
2	फरवरी			08.03.2016	01
1	मार्च			28.03.2016	42
2	मार्च			25.04.2016	29
1	अप्रैल			28.04.2016	41
2	अप्रैल			10.05.2016	13
		1	मई	16.05.2016	01
		2	मई	06.06.2016	31
		1	मार्च	20.03.2017	03
		2	मार्च	17.04.2017	09
		1	अप्रैल	18.04.2017	01

15	उत्तरकाशी	1	जनवरी	04.03.2016	48
		2	जनवरी	11.03.2016	34
		1	फरवरी	22.03.2016	33
		2	फरवरी	22.03.2016	15
		1	मार्च	28.03.2016	11
		2	मार्च	11.04.2016	15
		1	अप्रैल	18.05.2016	31
		2	अप्रैल	16.05.2016	02
		2	मई	10.06.2016	41
		2	मार्च	12.04.2017	04
		16	पौड़ी	1	जनवरी
2	जनवरी			29.02.2016	23
1	फरवरी			04.03.2016	14
2	फरवरी			17.03.2016	10
1	मार्च			21.03.2016	35
2	मार्च			25.04.2016	35
1	अप्रैल			28.04.2016	41
2	अप्रैल			18.05.2016	21
1	मई			20.05.2016	03
2	मई			08.06.2016	29
2	मार्च			12.04.2017	04
1	अप्रैल			18.04.2017	01
17	कोटद्वार			1	जनवरी
		2	जनवरी	19.02.2016	13
		1	फरवरी	19.02.2016	02
		2	फरवरी	11.03.2016	04
		1	मार्च	15.03.2016	29
		2	मार्च	26.04.2016	42
		1	अप्रैल	26.04.2016	39
		2	अप्रैल	04.05.2016	08
		1	मई	12.05.2016	05

		2	मई	06.06.2016	31
		1	अगस्त	19.08.2016	02
		2	जनवरी	10.02.2017	07
		1	फरवरी	20.02.2017	03
		1	मार्च	20.03.2017	03
		2	मार्च	13.04.2017	05
18	लैन्सडाउन	1	जनवरी	19.02.2016	32
		2	जनवरी	19.02.2016	13
		1	फरवरी	19.02.2016	02
		2	फरवरी	08.03.2016	01
		1	मार्च	15.03.2016	29
		2	मार्च	18.04.2016	34
		1	अप्रैल	06.05.2016	19
		1	मई	12.05.2016	05
		2	मई	06.06.2016	31
		2	मार्च	11.04.2017	03
19	साईबर टेजरी, देहरादून	2	जनवरी	29.02.2016	23
		1	मार्च	02.05.2016	16
		1	अप्रैल	13.05.2016	26
		2	अप्रैल	18.05.2016	06
		1	मई	12.05.2016	05
		2	मई	03.06.2016	34
		2	मार्च	13.04.2017	05
		1	अप्रैल	18.04.2017	01
20	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	1	मार्च	15.03.2016	29
		2	मार्च	04.05.2016	20
		1	अप्रैल	04.05.2016	17
		2	अप्रैल	12.05.2016	09
		1	मई	18.05.2016	01
		2	मई	06.06.2016	31
		2	मार्च	13.04.2017	05

(परिशिष्ट-07) पैरा- 2.9

पी0एल0ए0 खाते के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष राशियों (Unspent Balances) का शासकीय खातों में अभ्यर्पण नहीं करना

क्रम सं०	पी0एल0ए0 धारक	कोषागार/ उपकोषागार	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष राशि
1	निदेशक, निदेशालय, आई0सी0डी0एस0 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून	साइबर ट्रेजरी, देहरादून	8443 106	2016-17 (31.03.2016)	3,31,57,712
2	जिला पंचायत राज अधिकारी, बागेश्वर	बागेश्वर			17,16,250
3	जिला अधिकारी, हरिद्वार	हरिद्वार			1,63,93,176
4	आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, गुरुकूल कांगड़ी, हरिद्वार	हरिद्वार			257882
5	जिला अधिकारी, देहरादून	देहरादून			1,19,49,64,250
6	महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून	देहरादून			90,73,930
7	निदेशक उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, देहरादून	देहरादून			6,94,869
8	निदेशक उत्तराखण्ड, उर्दू अकादमी, देहरादून	देहरादून			6,32,760
9	निदेशक उत्तराखण्ड भाषा संस्थान देहरादून	देहरादून			7,85,969
10	सचिव हिन्दी अकादमी देहरादून	देहरादून			11,59,640
11	कृषि निदेशक, देहरादून	साइबर ट्रेजरी, देहरादून			19,96,90,879
12	निदेशक शहरी विकास निदेशालय, देहरादून	साइबर ट्रेजरी, देहरादून			35,27,33,260
13	पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, देहरादून	साइबर ट्रेजरी, देहरादून			1,03,10,670
14	निदेशक चिकित्सा शिक्षा देहरादून	साइबर ट्रेजरी, देहरादून			22,34,08,000
15	आयुक्त ग्राम विकास उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल			12,15,02,000
16	प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडाउन वनप्रभाग कोटद्वार	कोटद्वार			12,00,000
17	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी			2,79,28,874

(परिशिष्ट-08) पैरा-3.1

वर्ष 2016-17 में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्रम संख्या	कोषागार/उपकोषागार का नाम	निरीक्षण तिथि
1	कोषागार रुद्रप्रयाग	17.04.2016 से 25.04.2016
2	उपकोषागार जखोली	26.04.2016 से 29.04.2016
3	उपकोषागार दुण्डा	30.04.2016 से 04.05.2016
4	कोषागार उत्तरकाशी	02.05.2016 से 09.05.2016
5	उपकोषागार भटवाडी	10.05.2016 से 12.05.2016
6	उपकोषागार राजगढ़ी बडकोट	16.05.2016 से 18.05.2016
7	उपकोषागार पुरोला	03.05.2016 से 01.06.2016
8	कोषागार पौडी	03.06.2016 से 15.06.2016
9	कोषागार अल्मोड़ा	13.06.2016 से 20.06.2016
10	उपकोषागार चौखुटिया	22.06.2016 से 29.06.2016
11	उपकोषागार मौलेखाल	27.06.2016 से 29.06.2016
12	कोषागार देहरादून	04.07.2016 से 16.07.2016
13	उपकोषागार विकासनगर	18.07.2016 से 20.07.2016
14	उपकोषागार चकराता	22.07.2016 से 25.07.2016
15	साइबर ट्रेजरी देहरादून	18.07.2016 से 25.07.2016
16	निदेशक कोषागार देहरादून	26.07.2016 से 02.08.2016
17	कोषागार नैनीताल	01.08.2016 से 09.08.2016
18	उपकोषागार ताकुला	10.08.2016 से 12.08.2016
19	उपकोषागार भिकियासैण	16.08.2016 से 19.08.2016
20	उपकोषागार ऋषिकेश	22.08.2016 से 24.08.2016
21	कोषागार हरिद्वार	26.08.2016 से 02.09.2016
22	उपकोषागार लमगढ़ा	05.09.2016 से 09.09.2016
23	कोषागार पिथौरागढ़	05.10.2016 से 14.10.2016
24	उपकोषागार अस्कोट	17.10.2016 से 19.10.2016

25	उपकोषागार धारचूला	21.10.2016 से 24.10.2016
26	कोषागार हल्द्वानी	07.11.2016 से 16.11.2016
27	उपकोषागार कालाडुंगी	18.11.2016 से 21.11.2016
28	उपकोषागार रामनगर	23.11.2016 से 25.11.2016
29	मुख्य कोषागार ऊधमसिंह नगर	16.11.2016 से 26.11.2016
30	उपकोषागार बाजपुर	28.11.2016 से 30.11.2016
31	उपकोषागार सितारगंज	02.12.2016 से 05.12.2016
32	उपकोषागार खटीमा	07.12.2016 से 09.12.2016
33	मुख्य कोषागार गोपेश्वर चमोली	05.12.2016 से 14.12.2016
34	उपकोषागार नारायण बगड़	16.12.2016 से 19.12.2016
35	उपकोषागार थराली	21.12.2016 से 23.12.2016
36	उपकोषागार जोशीमठ	26.12.2016 से 28.12.2016
37	उपकोषागार बेरीनाग	19.12.2016 से 21.12.2016
38	उपकोषागार थल	22.12.2016 से 24.12.2016
39	उपकोषागार डीडीहाट	26.12.2016 से 28.12.2016
40	उपकोषागार मुन्स्यारी	30.12.2016 से 02.01.2017
41	कोषागार कोटद्वार	03.01.2017 से 11.01.2017
42	कोषागार लैन्सडाउन	13.01.2017 से 21.01.2017
43	कोषागार नई टिहरी	03.01.2017 से 11.01.2017
44	कोषागार नरेन्द्रनगर	03.01.2017 से 11.01.2017
45	कोषागार रूड़की	13.01.2017 से 21.01.2017
46	कोषागार बागेश्वर	04.01.2017 से 12.01.2017
47	उपकोषागार कपकोट	16.01.2017 से 18.01.2017
48	उपकोषागार काण्डा	20.01.2017 से 23.01.2017
49	कोषागार चम्पावत	04.01.2017 से 12.01.2017
50	उपकोषागार गरुड़	16.01.2017 से 18.01.2017
51	वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	06.03.2017 से 10.03.2017

(परिशिष्ट-09)पैरा.3.2

वर्ष 2016-17 में On-spot Discussion (OSD) द्वारा निस्तारित लम्बित प्रस्तारों का विवरण

कोषागार/ उपकोषागार	क्र सं०	निरीक्षण आख्या संख्या	निस्तारित प्रस्तर		
			भाग-2 (अ)	भाग-2(ब)	नमूना/ सम्पूरक नमूना जांच टिप्पणी
देहरादून	01	TM/TI/AIR/2015- 16/22	1,2	1(अ)(ब),2,3,4(क) (ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ) (ज)(झ)(ट)(ठ).5(अ)(ब),6,7 (अ)(ब),8(अ)(ब),9,10, 11(अ)(स),12,13(अ)(ब)	TAN- 1,2,3,4,5,6 ,7,8,9
मसूरी	02	TM/TI/AIR/2009- 10/50		1,2,3,4,5,6,7,8	1
त्यूनी	03	TM/TI/AIR/2015- 16/51		1,2,3,4,5	
चकराता	04	D-2006-07		2	
हरिद्वार	05	TM/TI/AIR/2015- 16/51		1,2(क) (ख),3,4,5,6,7,8, 9(क) (ख),10,11(क) (ख)(ग),12,13,14,15,16,17,1 8,19,20,21	TAN- 1,2,3
उपकोषागार हरिद्वार	06	TM/TI/AIR/2015- 16/20		1,2,3,4,5,6,7,8,9	1,2,3
लक्सर	07	TM/TI/AIR/2015- 16/21		1,2,3,4,5,6,7	

रुड़की	08	U-5		1(ड)	
	09	TM/TI/AIR/2014-15/16		6	
	10	TM/TI/AIR/2015-16/44		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	STAN-1
रुद्रप्रयाग	11	TM/TI/AIR/2014-15/14		2	TAN-1,2,4
	12	TM/TI/AIR/2015-16/01		1,2,3	TAN-1,2,3,4
अगस्तमुनी	13	TM/TI/AIR/2015-16/03		1,2	TAN-1,2,3
उखीमठ	14	TM/TI/AIR/2015-16/02		1,2	TAN- 1
जखोली	15	TM/TI/AIR/2014-15/13			TAN- 1
			02	90	STAN/TAN = 1/28

(परिशिष्ट-10) पैरा-3.3.4

कोषागारों द्वारा बैंकों को साख सीमा एवं जमा साख सीमा का विलम्ब से सूचित करने की अवधि

क्र० सं०	विभाग का नाम	पत्रांक	दिनांक	कोषागार में प्राप्ति का दिनांक	बैंक को भेजने का दिनांक	धनराशि (₹)	विलम्ब दिन
1	सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग	4771	11-08-2015	14-08-2015	02-09-2015	8,80,000/-	20
2	सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग	4771	04-08-2015	10-08-2015	02-09-2015	4,80,000/-	24
3	कार्यालय अधीक्षक अभियन्ता लो०नि०वि०	5633		02-12-2015	19-12-2015	1,19,13,605 /-	14
4	कार्यालय अधीक्षक अभियन्ता लो०नि०वि०	5161		26-10-2015	02-11-2015	1,00,96,000 /-	5
5	कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त , देहरादून	03		04-06-2015	07-07-2015	2,76,000/-	30
6	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता परियोजना मंडल सिंचाई विभाग	1828		02-05-2015	19-05-2015	24,29,000/-	14
7	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता परियोजना मंडल सिंचाई विभाग	1418		20-04-2015	19-05-2015	4,99,00/-	27
8	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता परियोजना मंडल सिंचाई विभाग	496		04-04-2015	19-05-2015	5,00,000/-	42
9	अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई वृत्त, टिहरी	123		28-07-2015	02-11-2015	71,40,000/-	90
10	कोषागार अधीक्षण अभियन्ता परियोजना मंडल, सिंचाई विभाग देहरादून	6068		04-01-2016	12-02-2016	1,18,99,700 /-	33

11	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लखवाड़ व्यासी निर्माण मंडल द्वितीय सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	5535		28-12- 2015	12-02- 2016	5,94,000/-	42
12	लैन्सडाउन बजट सा0सी0	01/10/15- 16	13-04- 2015	25-04- 2015	01-05- 2015	20,00,000/-	
13		58/10/15- 16	05-10- 2013	17-10- 2015	27-10- 2015	10,50,000/-	
14		96/10/15- 16	27-12- 2015	07-01- 2016	19-01- 2015	30,00,000/-	
15		97/10/15- 16	28-12- 2015	07-01- 2016	19-01- 2016	46,17,448/-	
16	डी0सी0एल0 जमा साख सीमा 1341 प्रान्तीय खण्ड लैन्सडाउन	01-4721	14-10- 2015	19-10- 2013	27-10- 2015	1,19,50,000 /-	

(परिशिष्ट-11) पैरा-3.3.5

स्वयं के पक्ष में निर्गत चैक द्वारा स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा-कोषागार वार

शासकीय ईकाई का नाम	दिनांक	राशि (₹में)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
जिला पंचायत रुद्रपुर	2015.16	10.25 करोड़	SY-29
नगर पालिका परिषद, खटीमा	2015.16	20110617	SY-32
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कालाहुंगी	2015.16	212000	SY-17
नगर पालिका परिषद, भवाली, नैनीताल	2015.16	1829000	SY-17
नगर पालिका परिषद,सितांरगज	2015.16	25770710	SY-31
	योग	150422327	

(परिशिष्ट-12) पैरा-3.3.6

पी0एल0ए0 खातों में ऋणात्मक धनराशि का विवरण

क्रम सं०	माह का नाम	विवरण की क्रमांक सं०	मुख्य लेखाशीर्ष तथा पी0एल0ए0 खाता धारक	माह का अन्तिम अवशेष की धनराशि
	मई, 2015	16	8443-800 परिवहन निगम, देहरादून	(-) 95,83,978 /-
	मई, 2015	20	8448-102 नगर पंचायत (TFC), डोईवाला	(-) 2,19,812 /-
	जून, 2015	31	8448-102 नगर पालिका परिषद (BFC), ऋषिकेश	(-) 44,92,710 /-
	जून, 2015	32	8448-102 नगर पालिका परिषद (BFC), ऋषिकेश	(-) 17,91,521 /-
	जुलाई, 2015	25	8448-102 नगर पालिका परिषद (SFC), मसूरी	(-) 96,33,115 /-
	अगस्त, 2015	27	8448-102 नगर पालिका परिषद (SFC), मसूरी	(-) 1,28,29,368 /-
	सितम्बर, 2015	24	8448-102 नगर पालिका परिषद (SFC), ऋषिकेश	(-) 1,15,65,466 /-
	सितम्बर, 2015	32	8448-102 नगर पालिका परिषद (SFC), विकासनगर	(-) 19,00,232 /-
	अक्टूबर, 2015	31	8448-102 नगर पालिका परिषद (SFC), विकासनगर	(-) 11,00,232 /-
	नवम्बर, 2015	26	8448-102 नगर पंचायत हरवर्तपुर (BFC),	(-) 4,87,960 /-
	जनवरी, 2016	30	8448-102 नगर पालिका परिषद (SFC), विकासनगर	(-) 4,28,232 /-
	जनवरी, 2016	32	8448-102 नगर पालिका परिषद (SFC), मसूरी	(-) 50,15,455 /-
	मार्च, 2016	26	8448-102 नगर पालिका परिषद (14FC), विकासनगर	(-) 19,48,231 /-
	मार्च, 2016	38	8448-102 नगर पंचायत (TFC), डोईवाला	(-) 8,06,644 /-
कुल योग				6,18,02,956 /-

(परिशिष्ट-13) पैरा- 3.3.7

उच्च अधिकारियों द्वारा कोषागारों/उपकोषागारों में समय से निरीक्षण नहीं करने का विवरण

कोषागार/ उपकोषागार	उच्चाधिकारियों द्वारा अन्तिम निरीक्षण की तिथि			लम्बित निरीक्षण की अवधि (वर्षों में)		
	जिला. अधिकारी/ उप. जिला अधिकारी	निदेशक/ अपर निदेशक कोषागार	कोषाधिकारी	जिला. अधिकारी/ उप. जिला अधिकारी	निदेशक कोषागार	कोषाधिकारी
पौड़ी	06.12.2010	12.07.2012		5	4	
डुण्डा	16.03.2011		02.02.2015	6		3
रूड़की	28.02.2008	29.02.2008		7	7	
टिहरी	30.12.2014		21.08.2015	1		
साइबर कोषागार						
देहरादून	31.03.2016	15.02.2011 जव 18.02.2011		1	5	
ऋषिकेश		25.02.2008	31.10.2013		8	3
जोशीमठ			25.02.2013			1
पुरोला	09.10.2009			7		
भटवाड़ी	29.12.2007		20.12.2014	8		2

(परिशिष्ट-14) पैरा- 3.3.8

कालातीत जी0पी0एफ0 के सामान्य भविष्य निधि के प्राधिकार पत्रों का ब्यौरा

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	अभिदाताओं की संख्या	प्राधिकार पत्र की राशि ₹(में)
1	खटीमा	04	124561
2	चौखुटिया	01	153697
3	भिकियासैण	01	39974
4	मौलेखाल	01	167965
5	टिहरी	03	
6	पुरोला	01	158993
7	राजगढी	02	340860
8	पौड़ी	07	
	योग		986050

(परिशिष्ट-15) पैरा- 3.3.9

नई पेंशन स्कीम/ सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का पेंशनरस/कर्मचारियों के वेतन से नहीं काटा जाना।

क्र.सं.	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनरस/ कर्मचारियों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	बाजपुर	22	TM/TI/2016-17/SY-30
2	उधम सिंह नगर	11	TM/TI/2016-17/SY-29
3	खटीमा	14	TM/TI/2016-17/SY-32
4	नैनीताल	12	TM/TI/2016-17/SY-17
5	सितारगंज	15	TM/TI/2016-17/SY-31
6	भिकियासैण	05	TM/TI/2016-17/SY-19
7	धारचूला	07	TM/TI/2016-17/SY-25
8	अस्कोट	07	TM/TI/2016-17/SY-24
9	जोशीमठ	01	TM/TI/2016-17/SY-34
10	लैन्सडाउन	15	TM/TI/2016-17/SY-42

(परिशिष्ट-16) पैरा- 3.4.1

पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभो के कम या अधिक भुगतान का विवरण(₹में)

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार / पेंशनर की संख्या	देय राशि			भुगतानित राशि			भुगतान का अन्तर		कम या अधिक भुगतान के कारणों से सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
		राशिकरण (1)	उपादान (2)	पेंशन (3)	राशिकरण (1)	उपादान (2)	पेंशन (3)	अधिक	कम	
1	बाजपुर / 06		3909733			3749062			160671	SY-30
2	उधम सिंह नगर / 05		3674508			3573701			100807	SY-29
3	कपकोट / 02		503795	3500		490347	2179		13448(2), 1321(3)	SY-49
4	कालाढूंगी / 05		2674086			1988501			685585	SY-27
5	खटीमा / 03		2064563			1963748			100815	SY-32
6	हल्द्वानी / 12		6349236			6152649			196587	SY-26
7	रामनगर / 04		3070050			2988169			81881	SY-28
8	ताकुला / 03		1861927			1807641			54286	SY-18
9	मुनस्यारी / 06		4519446			4380065			139381	SY-40
10	थल / 03		1496393			1451240			45153	SY-38
11	नैनीताल / 05		2977103			2895245			81858	SY-17
12	सितारंगज / 03		2678105			2604046			74059	SY-31
13	अल्मोड़ा / 04		966004	20931		940039	20540		25965(2), 391(3)	SY-09
14	भिकियासैण / 02		1037158			1001979			35179	SY-19
15	डीडीहाट / 05	644638	2661751		636692	2587017			7946(1), 74734(2)	SY-39

16	पिथौरागढ़ / 07		2067896	18268		1994289	18211		73607(2), 57(3)	SY-23
17	धारचूला / 03	461945	1660601		456251	1613833			5694(1), 46768(2)	SY-25
18	बेरीनाग / 05		3518782			3414233			104549	SY-37
19	गरुड़ / 04		1780565			1722897			57668	SY-52
20	चम्पावत /			4710			3996		714	SY-51
21	रुद्रप्रयाग / 07		3840472			3732248			108224	SY- 01
22	पौडी / 12	670293	5680739		672708	5522954		2415(1)	157785(2)	SY-08
23	उत्तरकाशी / 03		2202926			2254530		51604		SY-04
24	डुण्डा / 04		324539	318790		307453	322040	3250(3)	17086(2)	SY-03
25	गोपेश्वर (चमोली) / 06		3222475			3116982			105493	SY-33
26	कोटद्वार / 01			Nil			500869	500869		SY-41
27	रुड़की / 04		2405749			2340421			65328	SY-47
28	जोशीमठ / 11		4672906	127330		4527053	36685		145853(2), 90645(3)	SY-34
29	नरेन्द्रनगर / 05			2694072			2620810		73262	SY-46
30	निदेशक कोषागार / 08	719761	4621473	547476	727930	4514253	563951	8169(1), 16475(3)	107220(2)	SY-16
31	उपकोषागार नारायणबगड़ / 09		2763501	993105		2683790	1025367	32262(3)	79711(2)	SY-34
32	थराली / 21	244443	5810940	287888	238743	5611857	282436		5700(1), 199083(2), 5452(3)	SY-35
33	विकासनगर / 03		2100058			2099855			203	SY- 13
34	चकराता / 04		1285814			1250981			34833	SY-14

35	जखोली / 12		1325726	146930		1289013	255895	108965(3)	36713(2)	SY-02
36	पुरोला / 05		3513099			3334115			178984	SY-07
37	भटवाड़ी / 09		615714	2224244		718611	2150891	102897(2)	73353(3)	SY-05
38	राजगढ़ी / 09		6244502			6050728			193774	SY-06
39	लैन्सडाउनप / 02		1680988			1633633			47355	SY-42
40	PAO, New Delhi/05	335482			281422				54060	SY-53
	योग	3076562	101783323	7387244	3013746	98307178	7803870	826906	3949241	

(परिशिष्ट-17) पैरा- 3.4.2

सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को कार्यालय डी0पी0डी0ओ0 देहरादून/
बैंक को हस्तान्तरित ना करना।

क्रम सं0	कोषागार/उपकोषागार	सैनिक पेंशनर
1	खटीमा	471
2	ताकुला	01
3	अल्मोड़ा	23
4	भिकियासैण	05
5	मौलेखाल	11
6	बेरीनाग	03
7	गरुड़	04
8	पौड़ी	599
9	कोटद्वार	62
10	देहरादून	07
11	लैन्सडाउन	233
योग		1419

(परिशिष्ट-18) पैरा- 3.4.3

अन्य राज्यों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का लाभ नहीं दिया जाना।

क्रम सं०	कोषागार उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	राज्य का नाम	कम भुगतानित राशि (₹में)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
1	काण्डा	08	बिहार	29,000/-	SY- 50
2	कपकोट	01	हरियाणा	12,500/-	SY- 49
		02	असम	54,400/-	
		02	बिहार	5800/-	
3	हल्द्वानी	01	मेघालय	8,000/-	SY-26
		01	आसाम	5,000/-	
		02	आंध्र प्रदेश	8,000/-	
		02	हरियाणा	17,500/-	
		02	हिमाचल प्रदेश	42,400/-	
4	चौखुटिया	04	बिहार	400/-	SY- 10
		01	आसाम	250/-	
		01	आंध्र प्रदेश	200/-	
		01	पंजाब	500/-	
		03	हरियाणा	1000/-	
		01	मणिपुर	300/-	
5	मौलेखाल	01	जम्मू एवं कश्मीर	300/-	SY- 11
		02	हिमाचल प्रदेश	700/-	
		01	पंजाब सरकार	500/-	
		01	हरियाणा	500/-	
6	खटीमा	अरुणाचल प्रदेश	03	14,400/-	SY- 32
		मणिपुर	01	24,000/-	
		मेघालय	02	77,000/-	
		मिजोरम	01	4200/-	
7	थल	हिमाचल प्रदेश	01	15,400/-	SY- 38
		असम	02	28,000/-	
		गुजरात	01	10,000/-	

8	रामनगर	बिहार	06	26,400 / -	SY- 28
		पं0 बंगाल	01	7200 / -	
9	कालाढूंगी	बिहार	01	19,800 / -	SY- 27
10	डीडीहाट	01	अरुणाचल प्रदेश	22,200 / -	SY- 39
11	धारचूला	02	पश्चिम बंगाल	36,000 / -	SY- 25
		01	अरुणाचल प्रदेश	4400 / -	
12	अस्कोट	01	हिमाचल प्रदेश	14,700 / -	SY- 24
		02	बिहार	8600 / -	
13	रूडकी	01	नागालैण्ड	24,300 / -	SY- 47
		01	पश्चिम बंगाल	18,000 / -	
		01	बिहार	2900 / -	
		01	असम	14,250 / -	
		01	हरियाणा	48,000 / -	
		01	अरुणाचल प्रदेश	5000 / -	
		05	हिमाचल प्रदेश	65,250 / -	
		02	पंजाब	63,190 / -	
14	बेरीनाग	01	आसाम	14,000 / -	SY- 37
		16	बिहार	44,800 / -	
15	रूद्रप्रयाग	04	गुजरात	46,200 / -	SY- 01
		15	हिमाचल प्रदेश	1,55,280 / -	
16	पौड़ी	2	नागालैण्ड	22,200 / -	SY- 08
		1	अरुणाचल प्रदेश	18,600 / -	
		1	मणिपुर	14,800 / -	
17	डुण्डा	01	हरियाणा	10,000 / -	SY- 03
		01	त्रिपुरा	8000 / -	
		02	हिमाचल प्रदेश	40,890 / -	
18	हरिद्वार	01	बिहार	2400 / -	SY- 21
		01	आसाम	10,150 / -	

19	ऋषिकेश	02	राजस्थान	—	SY- 20
		01	हरियाणा	—	
		02	अरुणाचल प्रदेश	15,200 /—	
		02	हिमाचल प्रदेश	28,000 /—	
		01	मणिपुर	—	
20	नरेन्द्र नगर	01	बिहार	21,600 /—	SY- 46
		01	त्रिपुरा	14,400 /—	
21	लैन्सडाउन	01	पश्चिम बंगाल	7500	SY- 42
22	थराली	12	पश्चिम बंगाल	—	SY- 35
				12,14,460 /—	

(परिशिष्ट-19) पैरा- 3.4.4
10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

क्र.सं.	कोषागार/उपकोषागार	पेंशनरस की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	बाजपुर	03	SY-30
2	उधमसिंह नगर	03	SY-29
3	सितारगंज	01	SY-31
योग		07	

(परिशिष्ट-20) पैरा- 3.4.5

पैरा- छठे वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

कोषागार	पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर का नाम (श्री/ श्रीमती)		P.P.No /G.R.D. No	विवरण हेतु निम्न निरीक्षण आख्या का सन्दर्भ लें
लमगड़ा	1	स्व० नैन सिंह/श्रीमती गंगा देवी	UP-U-1927/12-13	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-13
मुन्स्यारी	2	श्रीमती प्रौपदी देवी	GRD No.032F06548	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-40
सितारगंज	3	श्री प्रजापति प्रसाद	UC2/042/7303	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-31
चौखुटिया	4	श्रीमती गंगा देवी	UC2/042/002823	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-10
	5	श्रीमती दर्शनी देवी	76	
	6	श्रीमती अंबिका देवी	BSA/389	
	7	श्रीमती शारना देवी	BSA/398	
	8	श्रीमती आनदी देवी	BSA/918	
	9	श्री धर्मानन्द जोशी	EDU/K/664/MA	
	10	श्रीमती तुलसी देवी	KU/850	
	मौलेखाल	11	श्रीमती पार्वती देवी	
12		श्रीमती सुधा देवी	P-UC2/00004921	
13		श्रीमती कौशल्या देवी	BSA/223	
14		श्रीमती शन्ति देवी	EDU/259/MA-1	
15		श्रीमती हनसी देवी	BSA/910	
पिथौरागढ़	16	श्रीमती मुककोशी देवी	C01F20427	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-23
	17	श्री पदम सिंह	C01S04718	
	18	श्री हेन थापा	C01S02478	
धारचूला	19	श्री जसोद सिंह	032S07176	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-25
	20	दीपा धामी	032F03340	
	21	मोहनी देवी	032F05667	
	22	मोतिना देवी	032F17314	
	23	विमला देवी	032F06770	
	24	मन्जू देवी	032F05036	
	25	नन्दी देवी	032F01331	
	26	भवान सिंह	032F05458	
	27	मुनी देवी	C021F19387	

अस्कोट	28	श्रीमती भागश्ची देवी	B.S.P/166	
बेरीनाग	29	श्रीमती हेमा देवी	B.S.P/1079/82	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-37
पौड़ी	30	शीला देवी	006F00067	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-08
	31	पार्वती देवी	010F00027	
	32	सरोजनी देवी	012F00168	
	33	यशराम	016S00692	
	34	रामवती देवी	020F00094	
	35	विमला देवी	020F00039	
	36	सुशीला देवी	C01F14324	
कोटद्वार	37	श्रीमती सुरली देवी, प0 बंगाल	WB-U-171	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-41
	38	श्रीमती सरहावती देवी, प0 बंगाल	WB-U-132	
	39	श्रीमती कल्पना बर्चवाल, राजस्थान	RAJ-U-151	
	40	श्री तेजपाल सिंह	C-01/5758	
	41	श्रीमती पूनम	P-1/2008	
	42	श्री अनुप सिंह	G.R.D 032F68428	
	43	श्रीमती रजिया बेगम	P/UC2/024/003291	
	44	श्रीमती दर्शनी देवी	P-3/3890UC328419	
	45	श्रीमती गुडडी देवी बच्चन	EOU-01	
रुडकी	46	श्रीमती कला देवी	C01F20368	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-47
	47	श्रीमती सुसमा लता देवी	C01F10983	
	48	श्रीमती विमला देवी	032F32411	
	49	श्रीमती फूलवती देवी	032F64409	
	50	श्रीमती रघुगिर	032F40113	
	51	श्रीमती रामरति सिंघल	0323F32306	
	52	श्रीमती ज्ञानेश्वरी देवी	032F59363	
	53	श्रीमती मुन्नी	032S34069	
	54	श्री इशाक लाल	032S32379	
	55	श्रीमती उर्मिला देवी	C01F11285	
नरेन्द्रनगर	56	श्रीमती सरोजनी देवी	C01F15608	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-46
	57	श्रीमती सीता देवी	009F00707	
	58	श्रीमती दर्शनी देवी	009F00147	

देहरादून	59	श्रीमती दमयन्ती देवी	C01F18191	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-12
	60	श्रीमती दीपा देवी	C01F20924	
	61	श्री सरदार गुलजार सिंह	C01F14610	
	62	श्री दिनेश कुमार भट्ट	C01F76549	
	63	श्री डी0पी0 जुयाल	C01S06381	
विकासनगर	64	श्रीमती कमला	032F62488	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-13
पुरोला	65	श्री कमलेश	C01F16682	TM/TI/A.I.R/2016-17/SY-07
	66	श्री बृजमोहन	C08-032815223	

(परिशिष्ट-21) पैरा-3.4

पेंशनरों से स्रोत पर आयकर की कटौती न किये जाने की तालिका

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	वित्तीय वर्ष	देय आयकर + सैस-कटौती (₹ में)	निरीक्षण आख्या संख्या
1	बाजपुर	03	2015-16	36703	SY-30
2	उधमसिंह नगर	09	2015-16	348435	SY-29
3	कालाढूगी	02	2015-16	12963	SY-27
4	हल्द्वानी	10	2015-16	857640	SY-26
5	रामनगर	05	2015-16	106095	SY-28
6	नैनीताल	05	2015-16	328995	SY-17
7	सितारगंज	03	2015-16	36037	SY-31
8	अल्मोड़ा	03	2015-16	14878	SY-09
9	भिकियासैण	02	2015-16	9582	SY-19
10	पिथौरागढ़	01	2015-16	24062	SY-23
11	धारचूला	03	2015-16	16045	SY-25
12	रुद्रप्रयाग	01	2015-16	23713	SY-01
13	पौड़ी	04	2015-16	24837	SY-08
14	चमोली	02	2015-16	4509	SY-33
15	कोटद्वार	08	2015-16	476616	SY-41
16	जोशीमठ	04	2015-16	18365	SY-34
17	देहरादून	01	2015-16	117825	SY-12
18	नरेन्द्रनगर	02	2015-16	242052	SY-46
19	टिहरी	03	2015-16	215743	SY-43
20	साइबर कोषागार	09	2015-16	54917	SY-15

21	थराली	03	2015-16	15902	SY-35
22	विकासनगर	06	2015-16	393380	SY-13
23	लैन्सडाउन	01	2015-16	2662	SY-42
				3381956	